दिनांकः 29.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 लूटेरे/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी TOYOTA ETIOS गाडी व 1500/- रूपये नकद, 02 मोबाइल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.09.2024 को वादी श्री गुरमेल सिंह पुत्र स्वरूप सिंह निवासी- 67A दुर्गानगर हिसार रोड थाना-सेक्टर 9 अम्बाला (हरियाणा) की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण अभिषेक पुत्र रामसिंह निवासी कोट मुस्तरका थाना-छछरौली जिला यमुनानगर (हरियाणा) व 03 अन्य साथियो द्वारा वादी की गाडी इटियॉज टोयटा अम्बाला शहर टैक्सी स्टेण्ड से सहारनपुर आने के लिए बुक करने, हरपाल पेट्रोल पम्प इस्लामनगर चौकी क्षेत्र मे टायलेट करने के बहाने गाडी को रुकवाकर गाडी लेकर भाग जाने, गाडी में वादी का पर्स जिसमें करीब 03 हजार रूपये व मोबाइल लेकर भाग जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0स0 365/24 धारा 309(4)BNS के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 28.09.2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में लूट के वांछित अभियुक्तगण **1. बंटी पुत्र विनोद नि0 चोहडपुर कला थाना छछरौली जिला यमुनानगर (हरियाणा) व 2. मनीष पुत्र राजपाल नि0 ननवाखेडी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सहजवी पुलिया फँदपुरी रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गयी **TOYOTA ETIOS गाडी** HRO1AF4151 व 1500 रुपये बरामद। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण के अन्य तीन साथी प्रिंस उर्फ सोंफू उर्फ युवी पुत्र सूबे सिह नि0 कैथल हरियाणा, अभिषेक पुत्र राम सिह नि0 कोर्ट मुस्तरक थाना छछरोली जिला यमुनानगर हरियाणा व सोनू पुत्र धर्मपाल नि0 शक्ति नगर कैथल हरियाणा मौके से फरार हो गये थे। दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकमदा उपरोक्त में मुख्य आरोपी **अभियुक्त 3. अभिषेक पुत्र रामसिह नि0 कोर्ट मुस्तरक थाना छचरौली जिला यमुनानगर (हरियाणा)** को शेरपुर नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 मोबाइल (एक मोबाइल रियलमी व एक मोबाइल ओपो कम्पनी) के बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2) BNS व 317(3) BNS की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दिनांक 25.09.24 को हम तीनो व हमारे दो अन्य साथियों ने मिलकर अम्बाला शहर टैक्सी स्टेण्ड से सहारनपुर आने के गाडी बुक की थी तथा सुनसान क्षेत्र मे टायलेट करने के बहाने गाडी को रुकवाकर गाडी मालिक से धक्का देकर गाडी को लेकर भाग गये थे, तथा ये वही

गाडी है और गाड़ी में रखे पर्स से जो पैसे मिले थे उनमें से ये 1500 रुपये बचे है। आज हम इसी गाडी से हरिद्वार की तरफ से घूम कर आ रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

1. बंटी पुत्र विनोद नि0 चोहडपुर कला थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा
2. मनीष पुत्र राजपाल नि0 ननवाखेडी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. अभिषेक पुत्र रामसिह नि0 कोर्ट मुस्तरक थाना छचरौली जिला यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः–

1500 रुपये नगद (लूटे गये)

01 इटियॉज टोयटा गाड़ी (लूटी गयी)

02 मोबाइल (एक मोबाईल रियलमी व एक मोबाईल ओपो कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. प्रशिक्षु उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. है0का0 975 कपिल प्रधान थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनुर
5. का0 2305 स्वतंत्र यादव थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
6. का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

दिनांकः 29.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 16 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे। अभियान अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.09.2024 को चैकिंग के दौरान **अभियुक्तगण 1.रोहित पुत्र गब्बर निवासी ग्राम ताजोवाला थाना खिजराबाद हरियाणा व 2. अनीश पुत्र शेर सिह निवासीग्राम ताजोवाला थाना खिजराबाद यमुनानगर हरियाणा** को मगनपुरा से खारा पावर हाउस की तरफ जाने वाले पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जनके कब्जे से 08-08 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण रोहित व अनीश उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 158/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम हरियाणा से देशी शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश मे रास्ते पर ट्रक चालको आदि को महगे दामो में बेचकर कुछ धन कमा लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. रोहित पुत्र गब्बर निवासी ग्राम ताजोवाला थाना खिजराबाद हरियाणा
2. अनीश पुत्र शेर सिह निवासीग्राम ताजोवाला थाना खिजराबाद यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण –

16 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: **29.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित 04 NBW वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 04 एनबीडब्लू वारण्टी **अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र अख्तर निवासी मौ0 मुल्तानिया कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 – 750/13 मु0अ0सं0 407ए/13 धारा 147/148/295ए/336/427/504/506 भादवि चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द में, **2. अमित पुत्र चेतराम निवासी मौ0 रविदास मार्ग कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-873/17 व एनसीआर 547/16 धारा 323/352/504/506/427 भादवि चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द में, **3. बलराम पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-320/06 धारा 323/452/504/506 भादवि चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द में व **4. विक्रम पुत्र चेत्तू उर्फ चेतराम निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 – 320/06 धारा 323/452/504/506 भादवि चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शहजाद पुत्र अख्तर निवासी मौ0 मुल्तानिया कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. अमित पुत्र चेतराम निवासी मौ0 रविदास मार्ग कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. बलराम पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. विक्रम पुत्र चेत्तू उर्फ चेतराम निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- हे0का0 902 गोविन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3- का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

4- का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 नशा शातिर तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे मदाक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त अरविन्द पुत्र नकलीराम नि0 ग्राम सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को कल्लरपुर नहर पुलिया से कल्लरपुर की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 374/24 धारा 8/21 NDPS के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरविन्द पुत्र नकलीराम नि0 ग्राम सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगीः-

05 ग्राम नाजायज स्मैक

अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 245/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना ननोता
2. मु0अ0स0 11/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0
3. मु0अ0स0 19/19 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना रामपुर मनि0
4. मु0अ0स0 102/18 धारा 60 आबकारी थाना रामपुर मनि0
5. मु0अ0स0 357/24 धारा 60 आबकारी थाना रामपुर मनि0
6. मु0अ0स0 458/16 धारा 60 आबकारी थाना रामपुर मनि0
7. मु0अ0स0 374/24 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना रामपुर मनि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री आनन्द पाल थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. का0 339 दीपक भारद्वाज थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. का0 1887 अंकित कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

दिनांक: 29.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर सहित कुल 02 नशा तस्कर अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार,कब्जे से 518 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2024 को चैकिंग के दौरान थाना हाजा के **हिस्ट्रीशीटर अपराधी.1बुरहान पुत्र फक्कर कसाई निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर को 389 ग्राम चरस के साथ व उसके भाई अभियुक्त .2जीशान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को 129 ग्राम चरस के साथ को ईदगाह मिर्जापुर की दीवार के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण बुरहान व जीशान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 159/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त गण ने पूछने पर बताया कि हम दोनो हरियाणा से सस्ते दामों में चरस लाकर आसपास के लोगों में बेचकर काभी मुनाफा कमा लेते है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. बुरहान पुत्र फक्कर कसाई निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. जीशान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

अभियुक्त बुरहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 128/06 धारा 307,504 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 163/07 धारा 307 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 164/07 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 19/08 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 50/08 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 64/08 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 111/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0 125/09 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0स0 43/14 धारा 379,392 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0स0 363/17 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0स0 284/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0स0 130/21 धारा 147,307,325,323,452,504,506 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

13. मु0अ0स0 10/16 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0स0 237/15 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त जीशान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 18/16 धारा 10,3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 101/15 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 197/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः –

- 518 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 नितिन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2.उ0नि0 भुपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2319 दानवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3.का0 1131 सुरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4.का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: **29.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 15000 रूपये का पुरुस्कार घोषित वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 15000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त **गुलशन कुमार पुत्र भूनेश्वर प्रसाद नि0 ढेउसाडीह थाना शेखुपुरा हाल थाना कुसुम्भा जनपद शेखुपुरा बिहार** सम्बन्धित वाद सं0 5764/22 मु0अ0सं0 303/2018 धारा 420/467/471 भादवि व 66 डी आईटीएक्ट चालानी थाना मण्डी को रेलवे स्टेशन जनपद सहारनपुर के बाहर अग्रसेन चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने ही अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पतन्जलि द्विव्या जल की फेन्चाईजी दिलाने के नाम पर ऑनलाईन ठगी की थी और जेल जाने के डर से हम छिपते फिर रहे थे लेकिन पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलशन कुमार पुत्र भूनेश्वर प्रसाद नि0 ढेउसाडीह थाना शेषोपुरा हाल थाना कुसुम्भा जनपद शेखुपुरा बिहार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 303/2018 धारा 420/467/471 भादवि व 66 डी आईटीएक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नरेंद्र सोलंकी थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी सहारनपुर
4. का0 1460 अंकित पँवार थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांकः **29.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 15000/- रूपये के ईनामी वांछित/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियत्रण व वांछित/वारंण्टी फरार अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29/09/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना को0 नगर सहारनपुर पर मु0अ0सं0- 244/2006 धारा 363/363क भादवि में वान्छित चल रहे ईनामिया **अभियुक्त बाबूराम पुत्र फुल्लू निवासी घसीटागढ मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को सपना पुल के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा 15000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बाबूराम पुत्र फुल्लू निवासी घसीटागढ मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. कां0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **29.09.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त अशोक पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम देवपुरा थाना नानौता जनपद सहारपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2008/रामकुमार 22 406 बनाम अशोक आदि धारा/323/ 504भादवि चालानी थाना नानौता मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डी0)/जे0एम0 देवबन्द को ग्राम देवपुरा से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अशोक पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम देवपुरा थाना नानौता जनपद सहारपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का0 1459 विकास कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः 29.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त को 02 नाजायज चाकू सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान 02 शातिर **अभियुक्त 1-इमरान पुत्र रिजवान नि0 डिफेंस कालोनी मदर हलीम स्कूल के पास थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 2- साबेज पुत्र रियासत अली नि चौधरी विहार नूर मस्जिद से पहले थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को 02 अवैध चाकू सहित बेहट रोड लक्जरी पैलेस के पास से गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 415/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम नशे के आदी है तथा छोटी मोटी चोरी कर लेते है। लोगो को डराने धमकाने व लोगो पर रौब जमाने के लिये अपने पास चाकू रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- इमरान पुत्र रिजवान नि0 डिफेंस कालोनी मदर हलीम स्कूल के पास थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
2- साबेज पुत्र रियासत अली नि चौधरी विहार नूर मस्जिद से पहले थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

02 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह को0देहात सहारनपुर
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना को0 देहात स0पुर
3. है0का0 839 कपिल राणा थाना को0 देहात स0पुर
4. का0 1551 अमित कुमार थाना को0देहात स0पुर

दिनांक: **29.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा प्लाट के बैनामे को लेकर धोखाधडी के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनाकं 18.10.2023 को वादी सुरेन्द्र पुत्र रामू निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1.ब्रिजेश पत्नी राजेश कुमार निवासी नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर आदि 10 नफर के विरुद्ध प्लोट के बैनामे को लेकर धोखाधडी करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 165/23 धारा 420/467/468/471/120बी/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2024 को **अभियुक्ता ब्रिजेश पत्नी राजेश उर्फ स्वराज निवासी ग्राम जन्धेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सुचना पर कस्बा मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

ब्रिजेश पत्नी राजेश उर्फ स्वराज निवासी ग्राम जन्धेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. म0का0 1153 प्रीती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: **29.09.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **इन्तजार पुत्र इकलाख नि0 कमेला कालोनी कुरेशियान मस्जिद के पास थाना मण्डी स0पुर** सम्बन्धित वाद सं0 – 1362/21 मु0अ0सं0 61/21 धारा 8/20 एनडीपीएस चालानी थाना कु0शेर एक्ट नियत दिनांक 28.10.2024 सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश जिला सहारनपुर में उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इन्तजार पुत्र इकलाख नि0 कमेला कालोनी कुरेशियान मस्जिद के पास थाना मण्डी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजबहादुर राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2367 योगेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 29-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2024 को वादी श्री रोहितास कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से वादी की मोटर साइकिल स्पलैन्डर प्लस नं0 यू0पी0 11 बी0ए0 1285 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 276/24 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 29.09.24 को उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण **मुकर्रम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर** एवं **अकरम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को उसण्ड पठानपुरा नहर के पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गयी मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नं0-UP11-BA-1285 बरामद हुई। **गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना बेहट के हिस्ट्रीशीटर भी है**। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अकरम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर।
2. मुकर्रम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटर साइकिल स्पलैन्डर प्लस नं0 UP11-BA-1285

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अकरम—एचएस नं0- 38ए

1 मु0अ0सं 94/18 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना बेहट
2 मु0अ0सं0 111/21 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट
3. मु0अ0सं0 261/21 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट
4. मु0अ0सं0 454/21 धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 – थाना बेहट
5. मु0अ0सं0 105/22 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर
6. मु0अ0सं0 115/22 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर
7. मु0अ0सं0 117/22 धारा 307 भादवि थाना मिर्जापुर
8. मु0अ0सं0 118/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर

9. मु0अ0सं0 207/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना मिर्जापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकर्रम- एचएस नं0- 56 ए

1 मु0अ0सं 714/19 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट

2 मु0अ0स0 717/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट

3. मु0अ0स0 324/21 धारा 13 जूआ अधि0 थाना बेहट

4. मु0अ0सं0 34/23 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट

5. मु0अ0सं0 94/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट

6. मु0अ0सं0 106/20 धारा 380/457/511 भादवि थाना बेहट

7. मु0अ0सं0 107/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट

8. मु0अ0सं0 270/20 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट

9. मु0अ0सं0 297/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट

10. मु0अ0सं0 345/17 धारा 3/8 सीएस एक्ट – थाना बेहट

11. मु0अ0सं0 437/23 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट

12. मु0अ0सं0 492/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट – थाना बेहट

13. मु0अ0सं0 498/20 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 521 सुनील कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:29.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 जिन्दा गाय, 01 महिन्द्रा बुलेरो पिकप गाडी व गोकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व गौकशों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 गौकश अभियुक्त **जुनस पुत्र कृष्णलाल निवासी ग्राम मिटेहेडी शेखान थाना नग्गल जिला अम्बाला हरियाणा हाल पता द्वारिकापुरी कालोनी जगादरी हरियाणा नियर बी0के0 शर्मा हास्पीटल जगाधरी यमूना नगर हरियाणा** स्थल सुल्तानपुर भट्टे से करीब 20 मीटर आगे कच्चे रास्ते पर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 जिन्दा गाय, एक लकडी का गुटका, एक कुल्हाडी,एक छुरी छोटी व एक बडा छुरा, दो हरे रंग की रस्सी के टुकडे व एक गाडी महिन्द्रा बोलेरो पिकप बरामद की। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 222/24 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग आवारा घुमते पशुओं को पकड़कर जंगल में सुनसान जगह देखकर गौकशी की घटना को अंजाम दे देते है और इस महिन्द्रा बोलेरो पिकप का मांस व जानवरो को लादकर लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते है। कल भी हम आवारा घुमते इन दोनो जानवरों को पकड़कर कटान के इरादे से महिन्द्रा बोलेरो पिकप लादकर लाये थे और जंगल में सुनसान जगह देखकर कटान करने के लिए घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुनस पुत्र कृष्णलाल निवासी ग्राम मिटेहेडी शेखान थाना नग्गल जिला अम्बाला हरियाणा हाल पता द्वारिकापुरी कालोनी जगादरी हरियाणा नियर बी0के0 शर्मा हास्पीटल जगाधरी यमूना नगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 जिन्दा गाय
- महिन्द्रा बोलेरो पिकप (वाहन) रजि0 नं0 एचआर 58 डी 5318
- गोकशी के उपकरण (एक लकडी का गुटका, एक कुल्हाडी,एक छुरी छोटी व एक बडा छुरा, दो हरे रंग की रस्सी के टुकडे)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1033 प्रवीण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 1833 महीपाल थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर